कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

// अपील //

लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए चार चरणों में मतदान होगा । प्रथम चरण में दिनांक 29 अप्रैल 2019 को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इन 6 लोकसभा क्षेत्रों में सम्मिलित 13 जिलों के 13,491 मतदान केन्द्रों पर कुल 1,05,45,825 मतदाता होंगे, इसके साथ-साथ 126-छिन्दवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उप निर्वाचन भी होगा। जिसमें कुल 300 मतदान केन्द्र एवं 2,63,185 मतदाता होंगे । इन निर्वाचनों में सहभागिता के लिए प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील करता हूँ।

निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ-साथ सुगम और समावेशी भी हो, इस हेतु प्रदेश में इस बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की हैं। मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे रैम्प, छाया, पीने के पानी, शौचालय, छोटो बच्चों के झुलाघर, सहयोग हेतु स्वयं सेवी इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इस निर्वाचन में मतदान का समय प्रात: 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगा। बालाघाट जिले की परसवाड़ा, बैहर एवं लाँजी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का समय प्रात: 07:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रहेगा। मतदाताओं को मतदान के दौरान अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे वोटर आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक इत्यादि 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज ले जाना अनिवार्य होगा । प्रथम चरण के मतदान के दौरान लगभग 60,000 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बल की कुल 85 एवं राज्य सशस्त्र बल की 38 कम्पनियाँ तैनात होगी । इसके साथ ही जिला बल, होमगार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारी मिलाकर कुल 33,000 पुलिस कर्मी मतदान दिवस में कार्यरत रहेंगे | इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2515 क्रिटीकल मतदान चिन्हांकित किए गए है। निर्वाचन के दौरान कुल 2700 से अधिक मतदान केन्द्रों पर वेबकॉस्टिंग / CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जावेगी । ईव्हीएम मशीन के परिवहन की निगरानी हेतु प्रत्येक सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दलों के वाहन पर जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम डिवाईस लगाई गई है। मतदाताओं को अपने वोटर होने संबंधी जानकारी के सत्यापन एवं अपने मतदान केन्द्र की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 एवं वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप की सुविधा दी गई है।

अतः सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि मध्यप्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2019 में अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभायें ।

(व्ही. एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश